~~सामान्य प्रशासन विभाग~~

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 2–11/2006/1–6 रायपुर, दिनांक जुलाई, 2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
रायपुर(छ.ग.)

विषयः–सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम अपीलों का समयावधि में निराकरण ।

संदर्भः–एफ 2–27/2006/1–6 दिनांक 20.12.2006

संदर्भित पत्र द्वारा अपील प्रकरणों के निराकरण संबंधी कार्यवाही के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। किन्तु यह देखने में आया है कि उक्त निर्देशों का समुचित पालन नहीं हो रहा है। इस संबंध में सूचना आयोग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा प्रथम अपीलों की विधिवत सुनवाई व समयावधि में उनका निराकरण नहीं किया जा रहा है। अपील की अवधि में अपीलीय अधिकारियों द्वारा आवेदकों को नोटिस नहीं दिया जाता है, काफी समय व्यतीत होने के पश्चात भी उनके द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किये जा रहे हैं, जिसके कारण आयोग में द्वितीय अपील प्रकरणों की संख्या बढ़ रही है। यह स्थिति चिन्ताजनक है ।

2. इस संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि विभागों के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों में सूचना का अधिकार के तहत नियुक्त किये गये सभी प्रथम अपीलीय अधिकारियों को उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपीलों की विधिवत सुनवाई और समयावधि में विधिवत निराकरण करने के लिए निर्देशित किया जावे तथा निरीक्षण के समय प्रथम अपीलीय अधिकारियों के कार्यो की समीक्षा भी की जाये। अपीलीय अधिकारियों द्वारा विधिवत कार्य नहीं करने की स्थिति में उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिये।

3. यहॉ यह उल्लेखनीय है कि यदि अपीलीय अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक हो तो इस संबंध में प्रशासन अकादमी, रायपुर से संपर्क कर उन्हें प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाये।

4657

(व्ही. के. राय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

पृ.क्रमांक एफ 2–11/2006/1/6: रायपुर, दिनांक 20जुलाई, 2007

प्रतिलिपि :–

1. महामहिम राज्यपाल महोदय के सचिव,राजभवन,रायपुर
2 मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय,रायपुर
3 समस्त विशेष सहायक/निज सचिव,मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
4 रजिस्ट्रार,छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर
5 संचालक,छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी,रायपुर
6 सचिव,छत्तीसगढ सूचना आयोग,रायपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्ययक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग